

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 99/2022

दर्ज दिनांक 07.09.2022

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2022/337

अन्तर्गत धारा :- 53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. भगवानलाल पिता गोमा भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कमली पत्नि अम्बालाल भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कैलाशी पुत्री अम्बालाल भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. चुनी पत्नि नारायण भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पन्ना पिता नारायण भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पप्पु पिता अम्बालाल भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मांगु पिता नारायण भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शान्तिलाल पिता किशोर भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शान्ति पुत्री अम्बालाल भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. हरी पिता अम्बालाल भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मांगीदेवी पत्नि माधुलाल भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::
(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 एकपक्षीय
3. प्रतिवादी संख्या 2, 9, 10 उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक:- 13/11/2026

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 14.06.2023 के द्वारा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामिलता खालेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 489 में अंकित आराजी संख्या 2983/1441 रकबा 3.27 है0 भूमि में वादी का 4/15 हिस्से का मौके पर कच्चे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई गीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/1522 दिनांक 10.12.2025 से प्रस्ताव

तैयार कर प्रस्तुत किया।



सहायक कलक्टर
(रा.जी.वे.) रायपुर

3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।
4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	भगवानलाल पुत्र गोमा भील सा.देह खातेदार	ग्राम झड़ोल (खाता संख्या 489)	2983/1441/1	0.87
		योग	1	0.87
2	कमली पत्नि अम्बालाल हिस्सा 49/1200 भील, कैलाशी पुत्री अम्बालाल हिस्सा 49/1200 भील, चुनी पत्नि नारायण हिस्सा 49/1200 भील, ना. पन्ना पुत्र नारायण सरंक्षक सरपरस्त माता चुनी हिस्सा 49/240 भील, पप्पु पुत्र अम्बालाल हिस्सा 49/1200 भील, मांगीदेवी पत्नि माधुलाल हिस्सा 49/240 भील, शान्तिलाल पुत्र किशोर हिस्सा 11/60 भील, शान्ति पुत्र अम्बालाल हिस्सा 49/1200 भील, हरी पुत्र अम्बालाल हिस्सा 49/1200 भील सा.देह खातेदार	ग्राम झड़ोल (खाता संख्या 489)	2983/1441/2	2.40
		योग	1	2.40

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



(करुणा लाडोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 13/11/2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सहायक कलक्टर पदेन)
उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)
(रा.सो.जो.) रायपुर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर०ए०एस०)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 99/2022

दर्ज दिनांक 07.09.2022

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2022/337

अन्तर्गत धारा :- 53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. भगवानलाल पिता गोमा भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- कमली पत्नि अम्बालाल भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- कैलाशी पुत्री अम्बालाल भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- चुनी पत्नि नारायण भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- पन्ना पिता नारायण भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- पप्पु पिता अम्बालाल भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- मांगु पिता नारायण भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- शान्तिलाल पिता किशोर भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- शान्ति पुत्री अम्बालाल भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- हरी पिता अम्बालाल भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- मांगीदेवी पत्नि माधुलाल भील निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::
(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)


निर्णय दिनांक : 13/11/2022

डिक्री दिनांक :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री जाकिर हुसैन रंगरेज व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
	भगवानलाल पुत्र गोमा भील सा.देह खातेदार	ग्राम झड़ौल (खाता संख्या 489)	2983/1441/1	0.87
		योग	1	0.87



डिक्री जारी करने वाला अधिकारी
पीठासीन अधिकारी

2	कमली पत्नि अम्बालाल हिस्सा 49/1200 भील, कैलाशी पुत्री अम्बालाल हिस्सा 49/1200 भील, चुन्नी पत्नि नारायण हिस्सा 49/1200 भील, ना. पन्ना पुत्र नारायण सरक्षक सरपरस्त माता चुन्नी हिस्सा 49/240 भील, पप्पु पुत्र अम्बालाल हिस्सा 49/1200 भील, मांगीदेवी पत्नि माधुलाल हिस्सा 49/240 भील, शान्तिलाल पुत्र किशोर हिस्सा 11/60 भील, शान्ति पुत्र अम्बालाल हिस्सा 49/1200 भील, हरी पुत्र अम्बालाल हिस्सा 49/1200 भील सा.देह, खातेदार	ग्राम झड़ोल (खाता संख्या 489)	2983 / 1441 / 2	2.40
		योग	1	2.40

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे।

नीजNil.....मुबलिंग Nilबाबत् Nil
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/11/2028 को जारी किया गया।



(करुणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर, मुदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

(करुणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर, मुदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)